

राजस्थान सरकार

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स बैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.5(254)निपेति /नियम/ 05/ 1332 - 1363 दिनांक: 29/11/10:

परिपत्र

विषय: पेंशनर की मृत्यु होने पर संबंधित बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने के संबंध में।

1. शासन के ध्यान में यह आया है कि पेंशनर की मृत्यु उपरान्त पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने में विलम्ब होता है। ऐसे मामलों में पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने की राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ट vi-पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा राजस्थान सरकार के सिविल पेंशनरों की पेंशन के संदाय के लिए स्कीम, के अनुच्छेद सख्ता 15 में प्रावधान हैं। इस संबंध में निदेशालय द्वारा पूर्व में परिपत्र क्रमांक: 136-175 एच दिनांक 29.03.2005 एवं 19-65 एच दिनांक 06.01.2010 आदि जारी किए गये हैं।

2. अतः पुनःनिर्दिष्ट किया जाता है कि इस प्रकार के प्रकरण जिनमें पेंशन भुगतान आदेश के साथ वर्णात्मक नामावली में पति एवं पत्नी का संयुक्त प्रमाणित फोटो तथा नाम एवं विवरण के तथ्य सत्यापित हैं और पारिवारिक पेंशन की राशि नामजद है, उन प्रकरणों में पत्नी या पति को, जैसा भी प्रकरण हो, पेंशन संवितरक बैंक अपने स्तर से पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करेंगे।

3. बैंकों द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के परिशिष्ट vi के अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने हेतु दी गई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पेंशनर के पति/पत्नी से निम्न दस्तावेज (सुविधा हेतु प्रारूप संलग्न) प्राप्त किये जायेंगे:-

- (1) पारिवारिक पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र
- (2) अनियोजन प्रमाण पत्र
- (3) पुर्णविवाह/अविवाह का प्रमाण पत्र
- (4) पारिवारिक पेंशन का आवेदन पत्र
- (5) अन्य स्रोतों से पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करने का प्रमाण पत्र
- (6) पेंशन भुगतान आदेश का पेंशनर का भाग
- (7) पेंशनर के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति

4. बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :-

- (i) पीपीओं के दोनों भागों (बोथ हाईस) पर पारिवारिक पेंशनर के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लिए जायेंगे, जिसे शाखा प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

- (ii) पीपीओ के दोनों भागों (बोथ हाईस) पर पेंशनर की मृत्यु की तिथि, पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने की तिथि, पारिवारिक पेंशन की दर का अंकन एवं प्रभाणीकरण किया जाएगा।
- (iii) यदि पेंशनर को पेंशन का अधिक भुगतान किया गया है, तो उसका समायोजन किया जायेगा।
- (iv) पेंशनर के विरुद्ध यदि कोई अन्य वसूली हो, तो नियमानुसार वसूली सम्बन्धी प्रविष्टि दोनों भागों पर अंकित की जायेगी।
- (v) पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति की सूचना निदेशक पेंशन विभाग को प्रपत्र-29 में दी जायेगी।

5. उपरोक्त कार्रवाई के पश्चात् बैंक द्वारा पत्रावली मूल पीपीओ, पेंशनर के भाग सहित संबंधित कोषाधिकारी को भिजवाई जायेगी। कोषाधिकारी द्वारा पत्रावली में बैंक द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि उपरान्त टी.एस. पंजिका एवं डाटा बेस में आवश्यक प्रविष्टि या संशोधन करते हुए पत्रावली संबंधित बैंक को वापस भिजवाई जायेगी। इसके लिए पारिवारिक पेंशनर को कोषालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

6. जिन मामलों में पारिवारिक पेंशन की दर का संशोधन अपेक्षित है, उन मामलों में बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने के पश्चात संशोधन हेतु पत्रावली मय मूल पी.पी.ओ (पेंशनर भाग) कोषाधिकारी को भिजवाई जायेगी, जिसके द्वारा पैरा 5 में वर्णित कार्यवाही के साथ भी पारिवारिक पेंशन की दर का संशोधन कर पत्रावली वापस बैंक को भिजवाई जावेगी। इस प्रक्रिया में भी पारिवारिक पेंशनर को कोषालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

7. कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अथवा पेंशनर के पुत्र/पुत्री को पारिवारिक पेंशन अधिकृत करने हेतु पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (एफ. पीपीओ) जारी किया जाता है, उन मामलों में उपरोक्त प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

संलग्न : 5 प्रपत्र-पैरा 3 के अनुसार।

निदेशक

क्रमांक: प.5(254) नियम/नियम /05/ दिनांक:
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित है:-
(राजस्थान)

1. समस्त कोषाधिकारी
2. महाप्रबन्धक/उप्रमहाप्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक

निदेशक

9.9.11

(3)

(1)

जीवन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशन संदाय आदेश संख्या _____
 के धारक पेंशनर के पति/पत्नी श्री/श्रीमती
 (पारिवारिक पेंशनर का नाम) को देखा है और वह आज
 इस तारीख को जीवित है।

स्थान :

तारीख :

नाम

प्राधिकृत अधिकारी

पदनाम (मुहर)

(2)

अनियोजन प्रमाण पत्र

(क) मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने अक्टूबर, 20 _____ में समाप्त हुए
 वर्ष के दौरान किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग या
 केन्द्रीय/राज्य सरकार की कम्पनी, निगम, उपक्रम, रवशासी निकाय,
 कानूनी निकाय, स्थानीय निकाय, सहकारी सोसाइटी, संस्था आदि में,
 जो केन्द्र/राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या
 नियन्त्रणाधीन हैं या जिसमें सरकार का सारवान वित्तीय हित है या जो
 अपने प्रशासनिक खर्च की पूर्ति करने के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त
 कर रहा है या भारतीय रिजर्व बैंक में या पब्लिक सेक्टर बैंक में या जी
 आई सी/एलआईसी इत्यादि में स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से
 नियोजन/पुनः नियोजन/आमेलन के परिणामस्वरूप कोई पारिश्रमिक
 प्राप्त नहीं किया है।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर

पेंशनर का नाम

पेंशनर संदाय आदेश सं

(4)

(3)

पुनर्विवाह / अविवाह का प्रमाण पत्र

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ / मैंने पिछले छह मास के दौरान विवाह नहीं किया है।

या

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है और कोषालय / बैंक को ऐसी घटना होने पर रिपोर्ट करने का वचन देता हूँ / देती हूँ।

स्थान :

हस्ताक्षर _____

दिनांक :

पेशनर का नाम _____

मैं अपने पूरे ज्ञान और विश्वास से यह प्रमाणित करता हूँ कि पूर्वोक्त घोषणा सही है।

उत्तरदायी अधिकारी या

प्रतिष्ठित व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम _____

पदनाम _____

(5)

(4)

उपाबन्ध - V
पारिवारिक पेंशन के आवेदन का प्रारूप

स्व. श्री / श्रीमती
कार्यालय विभाग

पदनाम
की पारिवारिक पेंशन का आवेदन।

1. आवेदक का नाम
2. मृत सरकारी कर्मचारी / पेंशनर से संबंध
3. सेवानिवृत्ति का दिनांक, यदि मृतक पेंशनर था
4. सरकारी कर्मचारी / पेंशनर की मृत्यु का दिनांक
5. मृतक के उत्तरजीवी रक्त संबंधियों के नाम और आयु

नाम	जन्म की तारीख
विधवा / विधुर	
पुत्र	
अविवाहित पुत्रियां	

6. उस कोषालय / उप कोषालय / पब्लिक सेक्टर बैंक शाखा का नाम, जिससे संदाय चाहा गया है।
7. हस्ताक्षर या बायें हाथ के अंगूठे की छाप (उनके मामले में, जो अपने हस्ताक्षर करने जितने साक्षर नहीं हैं)
8. स्व. _____ की विधवा / विधुर / अवयस्क सन्तान के संरक्षक की वर्णन तालिका

जन्म दिनांक
ऊँचाई
हाथ या चेहरे पर वैयक्तिक चिन्ह, यदि कोई हो
बायें हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छाप

कनिष्ठिका	अनामिका	मध्यमा	तर्जनी	अंगूठा
-----------	---------	--------	--------	--------

9. आवेदक का पूरा पता :

अनुप्रमाणित	साक्षी
(1)	(1)
(2)	(2)

टिप्पण :— पारिवारिक पेंशन के आवेदन के साथ की वर्णनात्मक तालिका (स्तम्भ 8) और हस्ताक्षर या बाये हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छाप दो प्रतियों में दो अलग—अलग पन्नों में और दो राजपत्रित अधिकारियों या नगर, गांव या परगना जिसमें आवेदक निवास करता है, के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित, होने चाहिए।

(६)

(5)

अन्य स्रोत से पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करने का प्रमाण—पत्र

मैं _____ पति / पत्नि / श्री / श्रीमती _____

धारक पी.पी.ओं संख्या _____ प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि मुझे राज्य सरकार या केन्द्रिय सरकार या राजकीय उपक्रम या स्वायत्तंशाषी निकाय या स्थानीय निधि आदि किसी भी अन्य स्रोत से अन्य नियमों के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रहीं हैं।

पारिवारिक पेंशनर के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेर विभाग, राजस्थान जरूरी

क्रमांक : प. 5 (254) नियम / नियम / 05 / 1301-50 H दिनांक : 29-06-2012

परिपत्र

विषय : पेंशनर की मृत्यु होने पर संबंधित बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय में निदेशालय पेंशन के पूर्व परिपत्र संख्या प.5 (254) नियम / नियम / 05 / 1920-1963-H दिनांक 29.11.2010 के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत पेंशनर की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने के लिए संबंधित बैंक को "पेंशन भुगतान आदेश का पेंशनर का भाग" प्रस्तुत करना होता है।

इस संबंध में प्रकरण का पुनः परीक्षण कर यह निर्णय लिया गया है कि उक्त भानले में पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने हेतु पेंशन भुगतान आदेश का पेंशनर का भाग बिना प्राप्त किये ही पेंशनर की मृत्यु की सूचना Annexure-V में प्राप्त होने पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान पेंशनर के Spouse को किया जावे, जिसका पूर्ण विवरण पेंशनर के पेंशन के भुगतान आदेश के बैंक के भाग एवं पेंशनर के संयुक्त बैंक खाते में पहले से ही उपलब्ध है।

अतः ऐसे प्रकरणों में पारिवारिक पेंशनर को पेंशन के भुगतान आदेश, पेंशनर का भाग प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावे। पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ किये जाने हेतु आवेदन पत्र वित्त विभाग के आदेश संख्या प.1(1) वित्त विभाग / जी एण्ड टी / 2007 दिनांक 21.6.2012 (प्रति संलग्न है) के अन्तर्गत संशोधित पारिवारिक पेंशन के आवेदन पत्र के प्रपत्र में किया जावे। उक्त परिपत्र वित्त विभाग की बार कोड संख्या 221101365 दिनांक 22.6.2012 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

संलग्न : प्रपत्र 1 (भीड़ की तरफ)

भवदीय,

गुरु

1301-50 H

निदेशक

क्रमांक : प. 5 (254) नियम / नियम / 05 /

दिनांक : 29-06-2012

प्रतिलिपि : निम्नांकित को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. समस्त कोषाधिकारी _____ (राज.)

2. महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक / सहायक महाप्रबन्धक _____

3. को अधीनस्थ शाखाओं को भिजवाने हेतु ।

3. अतिरिक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय _____ को इस विभाग के पूर्व परिपत्र क्रमांक 1920-1963-H

दिनांक 29.11.2010 की छाया प्रति के साथ प्रेषित है।

निदेशक

(8)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(G & T Division)

ORDER

No.F.1(1)FD/(G&T)/2007

Jaipur, dated : 21-6-
Circular

Subject:- Scheme for payment of pension of Rajasthan Government Civil Pensioners by the Public Sector Banks.

The Governor is pleased to order that the existing Annexure-V- Form Application for Family Pension - appended to the Scheme for payment of pension of Rajasthan Government Civil Pensioners by the Public Sector Banks issued vide order No. F.6(11)FD/R&A-I/76 dated 10.06.1977 shall be substituted by the following:-

"ANNEXURE V

FORM OF APPLICATION FOR FAMILY PENSION
Application for a family pension for the family of late Shri/Smt.....
(Designation) in the Office/Department of

1. Name of the applicant.
2. Relationship to the deceased Government servant/pensioner.
3. Date of death of Government servant/pensioner.
4. Names and ages of surviving kindred of the deceased, if spouse is not alive.

	Name	Date of birth
Unmarried Sons		
daughters including Widowed / divorced		

5. Name of Treasury/Sub-Treasury/ PSB branch at which payment is desired.
6. Signature of left-hand thumb impression (in the case of those are not literate enough to sign their names)
7. Date of birth of widow/widower/ guardian of the minor children of late.....
9. Full address of the applicant:

Date :

Signature of the applicant

By order of the Governor,

[Signature]
(Akhil Arora)
Secretary to the Government,
Finance (Budget)

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग

क्रमांक:- ८८५/२५४/पैशनर्स/कल्याण/१३५९ - १३८६/५, दिनांक ८/८/२०९

संयुक्त निदेशक,

क्षेत्रीय कार्यालय, पेशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग,
कोटा/अजमेर/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर।

विषय:- पी.पी.ओ./एफ.पी.पी.ओ. में पारिवारिक पेशनर की जन्म तिथी अंकित करने के संबंध

प्रसंग:- राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक एफ.12(3)एफडी/रल्स./2008 दिनांक 30.6.2009

महोदय,

उपरोक्त विषय में संदर्भित ज्ञापन (प्रति पहले भेजी जा चुकी है) के संदर्भ में पारिवारिक पेशनर की जन्म तिथी निर्धारित कर प्रविष्टी करने के संबंध में प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

(क) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्तांक दर्ज कर संबंधित शाखा में भिजवाया जावेगा।

(ख) संबंधित शाखा मांगपत्र भेजकर पत्रावली प्राप्त करेगी।

(ग) पत्रावली में पारिवारिक पेशनर (पति/पत्नी) की जन्म तिथी/आयु उपलब्ध होने पर ज्ञापन के पैरा 3 अनुसार जन्म तिथी निर्धारित की जावेगी।

(घ) पेशन विभाग की पत्रावली में जन्म तिथी एवं आयु की सूचना उपलब्ध न होने पर संबंधित कार्यालय जहाँ से पेशन प्रकरण प्राप्त हुआ था, को सूचना भेजने हेतु प्रारूप "ख" में पत्र लिखा जावेगा। सूचना प्राप्त होने पर ज्ञापन के पैरा 4 के अनुसार जन्म तिथी निर्धारित की जावेगी। एक माह में सूचना न आने पर माना जावेगा कि विभाग में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) पेशन विभाग व कर्मचारी के गूल विभाग में जन्म तिथी एवं आयु की सूचना उपलब्ध न होने पर आवेदन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर जन्म तिथी निर्धारित की जावेगी।

(च) उपरोक्त (ग) (घ) (ङ) के अनुसार निर्धारित जन्म तिथी की सूचना कोषाधिकारी एवं आवेदक को प्रारूप 'क' में दी जावेगी।

(i) किसी भी प्रलेख से मात्र आयु उपलब्ध होने पर जन्म तिथी निर्धारित की जावेगी :-

आयु वर्षों में उपलब्ध होने पर प्रलेख तैयार होने के वर्ष में से आयु के वर्ष घटाकर संबंधित वर्ष की एक युलाई जन्म तिथी निर्धारित की जावेगी। उदाहरण रखना किरणी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय तैयार कुलक सन् 1992 में रोयास किया गया। कुलक में पत्नी की आयु 52 वर्ष अंकित है तो 1992-52 = सन् 1940 की एक युलाई जन्म तिथी निर्धारित होगी।

(ii) आयु यदि वर्ष व महिने दोनों में अंकित है तो प्रलेख तैयार करने के महिने में से वर्ष व माह दोनों घटाकर संबंधित माह की 15 तारीख जन्म तिथी निर्धारित की जावेगी। उदाहरणार्थ मई 2006 में तैयार राशन कार्ड में यदि पत्नी की आयु 78 वर्ष 6 माह अंकित है तो 2006-05 में से 78 वर्ष 6 माह घटाने पर सन् 1927 का नवम्बर माह जन्म माह आता है अतः नवम्बर 1927 की 15 तारीख का जन्म तिथी निर्धारित होगी।

(छ) यह कार्य निम्न चरणों में किया जावेगा —

प्रथम चरण	अगस्त 09 से अक्टूबर 2009	जो पारिवारिक पेशनर 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं तथा पारिवारिक पेशन प्राप्त कर रहे हैं।
द्वितीय चरण	नवम्बर 2009 से मार्च 2010	शेष सभी पारिवारिक पेशनर जो पारिवारिक पेशन प्राप्त कर रहे हैं।
तृतीय चरण	अप्रैल 2009 से नियन्त्र	शेष सभी ग्रामीण

पेशनर द्वारा आवेदन हेतु आवेदन का प्रारूप (संलग्न) पेशन विभाग की वेबसाइट <http://rajpension.nic.in> पर उपलब्ध है। उपलब्ध जाकर होने पर उक्तानुसार प्रक्रिया आपनाकर पारिवारिक पेशनरों जन्मतिथी अंकन के संबंध में कार्यवाही की जाते हैं।

प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक पीआर ८८५/२५४/पैशनर्स/कल्याण विभाग/सहायक लेखाधिकारी पीआर कार्यालय हाजा

निदेशक

निदेशक

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

No.F.12(3)FD(Rules)/2008

Jaipur, dated : 30 JUN 2009

MEMORANDUM

Sub. :- Revision of pre-01.09.2006 State Pensioners / Family Pensioners etc. - grant of additional quantum of family pension to family pensioners of the age of 80 years and above.

State Government vide Finance Department Memorandum No. F.12(3)FD(Rules)/2008 dated 18.08.2008 have allowed additional quantum of family pension to the family pensioners who have attained/ attain the age of 80 years and above on or after 01.01.2007.

It has been brought to the notice of the Government that in the absence of age / date of birth of family pensioners in the Family Pension Payment Orders, it is not possible to authorise the additional amount of family pension to the family pensioners who have already crossed the age of 80 years and above and who may cross the age of 80 years in future.

As per the provisions contained in the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, each Government servant has furnished the details of family in his / her application for grant of pension. Similarly, in the case of death while in service, the concerned family pensioner has also furnished the details regarding date of birth / age. Accordingly, age / date of birth as recorded in the Pension Application Form of the employee / family pensioner, may be treated as valid and be used for the purpose of grant of additional amount of family pension.

In case, the date of birth is not available, but the year, and month of birth is available on record, the 1st July or the 16th of the month, respectively may be treated as date of birth. Similarly, in cases where only approximate age is available on record, date of birth may be reckoned by deducting the number of years representing the age from the date of submission of details of family members and age may be determined.

In cases, where record of the pensioners / family pensioners has been destroyed by the Pension & Pensioners' Welfare Department after obtaining approval at the competent level, the age for the aforesaid purpose may be determined on the basis of following documents:-

(i) Date of birth of the spouse might have been mentioned in the service record of the employee or it is possible that record of the pensioner / family pensioner is available in the department where from he / she has retired / died while in service. Efforts may be made to obtain the proof of date of birth from the concerned Head of Office.

Where the family pensioner is educated, he / she may be asked to furnish the certificate of date of birth from the concerned School / Board, as the case may be.

(2)

- (iii) Documentary evidence viz. PAN Card, Driving Licence, Commission, Ration Card or Family Pensioner's Medical Diary, Voter Identity Card issued by the Election Commission, any other legal documents issued before 12.09.2008, may be obtained from the concerned pensioners. If there is any variation in the date of birth / age in the documents, younger date of birth may be used as date of birth for aforesaid purpose. In such cases, the family pensioner will have to submit affidavit in support of his / her correct date of birth.
- (iv) In the absence of any of the documents mentioned above, claim determination of age / date of birth may be put up to the concerned Sub-Divisional Magistrate by the family pensioner for verification and date of birth may be admitted on that verification.

The date of birth determined / ascertained, as stated above, shall be conveyed by the Director, Pension & Pensioners' Welfare Department to the concerned Treasury Officer (Pension), who shall enter the date of birth of all pensioners in the both halves of Family Pension Payment Orders and also additional amount of family pension as per rules.

In case of existing pensioners, the date of birth of his / her spouse available in the pension file of the pensioner, the Director, Pension & Welfare Department shall communicate the date of birth of the spouse to the Treasury Officer (Pension) for entries in both halves of the Pension Payment Order of pensioners.

Deepak Upadhyay
 Secretary to the Government

Copy forwarded to -

1. All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
2. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
3. P.S. to Chief Secretary
4. Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies)
5. All Heads of the Departments.
6. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sending to Sub-Treasury Officers.
7. Director, Pension & Pensioners' Welfare Department, Rajasthan, Jaipur.
8. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office.
9. All Treasury Officers
10. All Sections of the Secretariat.
11. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
12. Vidhi Rachana Sangathan, for Hindi translation.
13. Analyst-cum-programmer, Finance Department

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Legislative Committees.
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.

Aditya Pareek
 (Aditya Pareek)
 Deputy Secretary to the

(P)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
RULES DIVISION

No. F. 12(3)FD(Rules)/2008

Jaipur, Dated : 29.03.2011

MEMORANDUM

Sub.: Revision of pre-01.09.2006 State Pensioners / Family Pensioners etc. - grant of additional family pension to family pensioners of the age of 80 years and above.

State Government vide Finance Department Memorandum No. F.12(3)FD(Rules)/2008 dated 12.09.2008 have allowed additional quantum of family pension to the family pensioners who have attained/attain the age of 80 years and above on or after 01.01.2007.

The procedure for determination of date of birth of the spouse of the pensioner / family pensioner was issued vide FD Memorandum No. F.12(3)FD(Rules)/2008 dated 30.06.2009.

In some cases, pensioners are requesting for change in the age/date of birth of the spouse of the pensioner/family pensioner mentioned in the original pension application form on the basis of a documentary proof of date of birth.

The matter has been considered in light of these cases and in partial modification of FD Memorandum No. F.12(3)FD(Rules)/2008 dated 30.06.2009 it has been decided that the date of birth of spouse of the pensioner/family pensioner may be revised / determined on the basis of date of birth mentioned in passport, certificate of secondary school or equivalent issued by Board, PAN card or Driving Licence. In other cases where it is not possible to submit the above certificate/ document, the date of birth of the spouse of the pensioner/family pensioner shall continue to be determined as per the provisions contained in the FD Memorandum dated 30.06.2009.

Any proof of date of birth issued on or after 01.09.2008 shall not be considered for this purpose.

29/2/2011

(Sanjay Malhotra)
Secretary, Finance (Budget)

शाल्य पेशन एवं पेशनार्थी कैलेंडर विभाग
जयपुर - राजा

30 SEP 2011

1629

प्रस्तुत - संग्रहीत

(4246)


(13)

Copy forwarded to -

1. Principal Secretary to H.E. Governor,
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister,
3. All Special Secretaries / Private Secretaries to Ministers / State Ministers
4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
5. D.S. to Chief Secretary.
6. Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies)
7. All Heads of the Departments.
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sale.
9. Director, Pension & Pensioners' Welfare Department, Rajasthan, Jaipur.
10. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office.
11. All Treasury Officers.
12. All Sections of the Secretariat.
13. Administrative Reforms (Gr. 7) with 7 copies.
14. Vidhi Rachana Sangathan, for Hindi translation.
15. System Analyst, Finance Department (Computer Cell).

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies.
2. Subordinate Legislative Committees,
3. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur
4. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
5. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.


 (Aditya Pareek)
 Deputy Secretary to the Government

(Pension - 12 / 2011)

राजस्थान सरकार

निवेशालय, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विभाग, अमृता भवन, अमृता नगर

क्रम. फ. 5 (254) निषेधी | दिनांक | 2011 | क्रमांक 1262724 दिनांक : 11-10-

मुझे समीक्षकों की छाता ग्रन्ति निम्नलिखित को आपको बतानी है।

(1) डॉ. रमेश कुमार निषेधी की छाता ग्रन्ति दिनांक 12-10-2011
क्रमांक 1262724 (संभाल विभाग, अमृता नगर)

(2) संचार निवेशालय (सम्बन्ध) अमृता नगर, अमृता


 सुरेश कुमार

कैला हांडे निवेशालय काल्पनिक विभाग
राजस्थान, अमृता

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेर विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.5(254)निपेति/नियम/पार्ट- / एकल पत्रावली (२१-६० H दिनांक १७.०८.२०१२

परिपत्र

विषय:- पी.पी.ओ./एफ.पी.पी.ओ. में पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथी अंकित करने के संबंध में।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.12(3) एफडी/रल्स/2008 दि. 30.06.2009 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ.5(254)निपेति/नियम/०८/१३५९-७६ एच दि. 07.08.09 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित कर पेंशन विभाग के संबंधित अधिकारियों को, पेंशनर के पति/पत्नि की जन्मतिथि निर्धारित करने एवं संबंधित कोषाधिकारी को पेंशन भुगतान आदेश में प्रविष्टी करने हेतु अधिकृत किया गया था। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.12(3) एफडी/रल्स / 2008 दि. 29.09.2011 द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों में संशोधन कर पेंशनर द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा समकक्ष संस्था के प्रमाणपत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/ पासपोर्ट/ पेनकार्ड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने पर उसमें अंकित जन्मतिथि के आधार पर पेंशनर के पति/पत्नि की जन्मतिथि संशोधित/निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है।

पेंशनर के पति/पत्नि की जन्मतिथि निर्धारित/संशोधित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने की दृष्टि से उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर संबंधित कोषाधिकारी जिसके माध्यम से पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर, पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, को पेंशनर के पति/पत्नि की जन्मतिथि निर्धारित/संशोधित कर पीपीओ की दोनों प्रतियों में अंकित करने हेतु अधिकृत किया जाता है। जन्मतिथि निर्धारण/संशोधन हेतु पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर अपना आवेदन पत्र उपरोक्त चार साक्ष्यों में से किसी एक साक्ष्य (जो दिनांक 12.09.2008 से पूर्व जारी हुआ हो) की प्रमाणित प्रति एवं पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के पीपीओ हॉफ के साथ संबंधित बैंक शाखा, जहां से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त की जा रही थी/है, पर प्रस्तुत करेगा। संबंधित बैंक शाखा द्वारा मूल आवेदन पेंशनर की पत्रावली के साथ संबंधित कोषाधिकारी को भेजा जावेगा। कोषाधिकारी द्वारा उपरोक्त साक्ष्यों में से प्रस्तुत साक्ष्य की जांच कर पेंशनर की पत्नि/पति की नियमानुसार जन्मतिथि निर्धारित/संशोधित कर पेंशन भुगतान आदेश की दोनों पर्तों में अंकित की जावेगी। कोषाधिकारी द्वारा निर्धारित/संशोधित

(१३)

जन्मतिथि की संबंधित अभिलेख में प्रविष्टी की जावेगी तथा पेंशन विभाग के संबंधित कार्यालय जहां से अंतिम अधिकृति जारी हुई है, को साक्ष्य की प्रमाणित प्रति के साथ अभिलेख हेतु सूचित किया जावेगा। इस कार्रवाई के पश्चात पेंशन पत्रावली संबंधित बैंक को वापस लौटा दी जायेगी। संबंधित बैंक द्वारा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति आवेदक को वापस लौटायी जायेगी।

उपरोक्त चार साक्ष्यों के अलावा अन्य साक्ष्य के आधार पर जन्म तिथि निर्धारित करने के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.06.2009 के प्रावधान एवं इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.5(254)नियम/नियम/08/1359-76 एवं दिनांक 07.08.09 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया यथावत रहेगी।

यह परिपत्र वित्त विभाग की अंतर विभागीय सहमति क्रमांक वि.शा.स. 131101067 दिनांक 16.12.2011 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

निदेशक

क्रमांक:— एफ.5(254)नियम/नियम/पार्ट— /एकल पत्रावली । २।— ६० H दिनांक । १।—०।—२०१।

प्रतिलिपि:—

राज्य सरकार के आदेश संख्या, एफ.12(3) एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 30.06.2009,

राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ.12(3) एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 29.09.2011 एवं निदेशालय के पत्र क्रमांक प.5(254) नियम/नियम/08/1359-76 एवं दिनांक 07.08.2009 की प्रति के साथ निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राज. जयपुर
2. उप शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग
3. विशेषाधिकारी, वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर
4. सहायक उप महा प्रबंधक को शाखा स्तर पर निर्देशित करने हेतु
5. जिला कोषाधिकारी, (समस्त) राज.0
6. अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण—विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर एवं बीकानेर।
7. सहायक निदेशक, पीआर (समस्त) मुख्यालय राज., जयपुर।

निदेशक